

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार समझौते की वार्ता में प्रगति

3768. श्री नवीन जिंदल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों पर वार्ता में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इन समझौतों से अपेक्षित लाभ क्या हैं;

(ख) कुछ देशों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और इन व्यापार असंतुलनों के प्रभाव पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है; और

(ग) भारत के व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र पर व्यापार युद्धों और भू-राजनीतिक तनावों के प्रभाव पर सरकार का क्या आकलन है और इन जोखिमों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) वाणिज्य विभाग व्यापार वार्ताओं और व्यापार समझौतों की समीक्षा निरंतर आधार पर कर रहा है। पिछले पांच वर्षों को दौरान सरकार ने निम्नलिखित व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं:

क्र.सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
1	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी, 2021	1 अप्रैल, 2021
2	भारत-यूई सीईपीए	18 फरवरी, 2022	1 मई 2022
3	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)	2 अप्रैल, 2022	29 दिसंबर 2022
4	भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)	10 मार्च 2024	भारत और ईएफटीए देशों द्वारा पुष्टि प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
5	भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए)	24 जुलाई 2025	दोनों पक्षों द्वारा पुष्टि प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

चल रही वार्ताओं की सूची अनुबंध में दी गई है।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) मुख्य रूप से संबंधित व्यापारिक साझेदार देशों के साथ किए जाते हैं जिसका उद्देश्य बाजार पहुंच के दायरे को बढ़ाकर और व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए व्यापार अनुपूरकताओं का निर्माण करके द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाना है, जिससे निर्यात क्षमता में वृद्धि हो, उद्योग, किसानों, एमएसएमई को लाभ मिले और रोजगार के अवसर पैदा हों। एफटीए पर वार्ता इस प्रयास के साथ की जाती है कि निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक, संतुलित, व्यापक-आधारित और न्यायसंगत समझौता हो। यह व्यापारिक साझेदार देशों में अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारतीय निर्यातकों के लिए एक समान अवसर भी सुनिश्चित करता है।

(ख) और (ग) सरकार ने घरेलू क्षमता बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, आयात के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने और वैश्विक कारकों के चलते यदि व्यापार पर कोई नकारात्मक प्रभाव हो उसे कम करने सहित आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने के उद्देश्य से कई सक्रिय उपाय किए हैं। निर्यात को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर की गई कई प्रमुख पहल और नीतिगत उपाय निम्न हैं-

- i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना (आईसी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत पात्र केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों और उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की यात्रा/भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उद्यम आदि के उद्देश्य से भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सके। आईसी योजना का एक नया घटक, केपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स (सीबीएफटीई) जून 2022 में शुरू किया गया है, जिसके तहत नए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) निर्यातकों को ईपीसी के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर होने वाली लागतों की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- ii. एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), स्फूर्ति, जेडईडी, इनक्यूबेटर, लीन, आईपीआर, खरीद और विपणन योजना (पीएमएस) शामिल हैं, जो एमएसएमई को उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता करती हैं।
- iii. वस्त्र क्षेत्र के निर्यात की श्रम-उन्मुख कुछ वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना 07 मार्च, 2019 से कार्यान्वित की गई है।
- iv. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित हो गई है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरओडीटीईपी योजना के लिए बजट आवंटन 18,232.50 करोड़ रुपये है। आरओडीटीईपी योजना का लाभ घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) इकाइयों से निर्यात के लिए 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- v. व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

vi. प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके तथा जिले में रोजगार सृजन के लिए स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को सहायता प्रदान करके निर्यात केन्द्र के रूप में जिलों की पहल शुरू की गई।

vii. सरकार ने 11 सितंबर 2024 को ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता मंच है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेश में भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग और अन्य संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाता है।

वाणिज्य विभाग व्यापार के विकास और व्यापार संबंधी संघर्षों के प्रभाव को कम करने के लिए उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ नियमित रूप से कार्य कर रहा है। वाणिज्य विभाग का उद्देश्य व्यापार संवर्धन, व्यापार सुविधा आयात एवं निर्यात संबंधित उपचारात्मक उपायों के माध्यम से व्यापार एवं आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।

भारत के व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र की वृद्धि तथा किसानों, एमएसएमई सहित घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, एफटीए में उन वस्तुओं की संवेदनशील, नकारात्मक या बहिष्कृत सूची बनाए रखने का प्रावधान है, जिन पर सीमित या कोई टैरिफ रियायत नहीं दी जाती है। आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की स्थिति में, किसी देश को एफटीए के अंतर्गत पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर आयात पर एंटी-डंपिंग और सुरक्षा उपायों जैसे व्यापार सुधारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है।

एफटीए में व्यापार में तकनीकी बाधाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं ताकि दोनों पक्षों के मानकों, तकनीकी विनियमों और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों के बारे में आपसी समझ को बढ़ावा मिले। एफटीए गैर-तकनीकी बाधाओं को दूर कर रहे हैं, जिससे भारतीय वस्तुओं के लिए निर्यात बाजारों तक सुगम और अधिक प्रभावी पहुंच संभव हो रही है। एफटीए में उभरती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप समीक्षा हेतु उप-समितियाँ भी शामिल हैं।

क्र. सं.	समझौते का नाम
1	भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (भारत- ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए का विस्तार)
2	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
3	भारत-श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता
4	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौता
5	भारत-चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
6	भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता
7	भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए)
8	आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) (समीक्षा)
9	भारत-कोरिया सीईपीए (समीक्षा)
